फा.1/142(18)/2023-भ.IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती- IVअनुभाग

पद का नाम	सिगनल आसूचना निदेशालय, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय में अनुवादक (दारी) के पद की एक (01) (अनारक्षित) रिक्ति
विज्ञापन सं.	22/2023
रिक्ति सं.	23112201425

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 18.03.2024 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 28.03.2024 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- **06** आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए है। उन सभी की जांच की गई है। सभी की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।
- तदनुसार, उम्मीदवारों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	**अ.यो-(क) अथवा ख (i) और (ii)**
	ईडब्ल्यूएस	-
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	**शून्य***

**** यह प्रकरण स्क्रूटनी चरण में निष्फल हो गई है।***

: अस्वीकृत :

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है	**श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया**	**अनुक्रमांक**
	एलईक्यू - क	01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 एवं 39. **(37 उम्मीदवार)**
	:अपूर्ण:	
	अपूर्ण	03 एवं 34. **(02 उम्मीदवार)**

अभय
07/05/2024

अपनाए गए मानदंड	(i) संवीक्षा प्रथम रूप से उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी /किए गए दावे के अनुसार कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर तत्पश्चात् केवल उन्हीं उम्मीदवारों, जो प्रथमदृष्या ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी/किए गए दावे के अनुसार पात्र पाए गए हों, को ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों की संवीक्षा के अनुसार ऑनलाइन की गई है। (ii) आवेदनों की संवीक्षा उक्त पद के भर्ती नियमों के प्रावधानों के अनुसार ही की गई है। (iii) आवश्यक प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित होने पर ही उम्मीदवार द्वारा किए गए दावे की संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है। (iv) विज्ञापन में विनिर्दिष्ट संगत क्षेत्र में धारित अनुभव पर विचार किया गया है। (v) वे उम्मीदवार जिनके पास संगत अनिवार्य शैक्षिक योग्यता नहीं है, उन्हें **'एलईक्यू-क'** के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है। (vi) नियुक्ति पत्रों, कार्यालय आदेशों, पंजीकरण/नामांकन प्रमाण-पत्रों, त्याग-पत्रों, कार्यमुक्ति आदेशों, वेतन प्रमाण-पत्रों और स्व-रोजगार प्रमाण-पत्रों पर अनुभव के प्रमाण के तौर पर विचार नहीं किया गया है। साथ ही 'इंटर्न', 'नॉन-ग्रांट आधार पर', अतिथि संकाय और प्रति घंटा आधार पर, को भी संगत अनुभव के रूप में विचार नहीं किया गया है। (vii) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. एफ.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। (viii) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है। वांछनीय योग्यता लागू नहीं की गई है। **नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग किया जाता है।**

संकेतक:

एलईक्यू - क - अनिवार्य योग्यता -क में कमी

अमरनन्दन मिश्र 07/05/2024

(ए.एन. मिश्रा)
उप सचिव (भ.IV)
दूरभाष: 011-23383766

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।